FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट उंखलिया

सॉवर लाल पिता देवकरण ब्राह्मण निवासी उंखलिया बनाम देवकरण पिता बालु ब्राह्मण वगैराह निवासी – उंखलिया

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88, 92 ए. रा.टी.ए. प्रकरण संख्या– 2454/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
00.00.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट उंखलिया पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादी देवकरण उपस्थित। वकील वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या– 2 से लगायत 33 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रतिवादी संख्या– 2 से लगायत 33 के विरुद्ध कार्यवाही ड्राप की जाती है। वकील वादी के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील वादी की बहस को सूना गया। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया वादीगण की मौरुसी आराजीयात है जो उनके मौरुस बालु पिता गणेश लाल की समय की है। जिसमें वादीगण का हक हिस्सा निहित है। जो हाल राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। वकील वादी का यह भी कथन था कि वादीगण के दादा बालु की मृत्यु के बाद आराजी मुतदाविया विरासत से उनके पुत्रों के नाम ही दर्ज की गई। जबकि आराजीयात में प्रतिवादी संख्या– 1 के साथ वादीगण का भी समान हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या–1 राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के कारण आराजीयात को बेचान करने पर आमादा है। जो उनका उक्त कृत्य अवैध व नाजायज होकर कानून की मंशा के विपरीत होने से इससे रुके रहने बाबत उनको बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या–1 के साथ वादीगण को भी समान हक हिस्से से खातेदार घोषित फरमाया जावें। जबकि प्रतिवादी संख्या–1 देकरण का कथन था कि उनके द्वारा आराजीयात का बेचान कर दिया गया है। दावा स्वीकार किया जाता है तो मुझे कोई आपति नही है। मैनें उपस्थित उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है– वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्तव् 2071– 2074 मौजा उंखलिया तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 126, 709, 711, 713, 1304, 1386 किता 6 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि अन्य खातेदारान के साथ अम्बालाल, लक्ष्मण, देवकरण, हीरालाल पिता बालु, उगमी बेवा बालु, हिस्सा 1/4, आराजी नम्बर– 565, 666, किता 2 रकबा 05 बीघा भूमि अन्य खातेदारान के साथ अम्बालाल, लक्ष्मण, देवकरण, सत्यनारायण पिता बालु, ना.बा.ब. वि. माता खुद उगमी बेवा बालु ब्राह्मण, आराजी नम्बर– 1280 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि उगमी बेवा बालु शर्मा, हिस्सा 1/2, कल्याण पिता गणेश 1/2, आराजी नम्बर– 44 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा भूमि अन्य खातेदारान के साथ उगमी बेवा बालु 1/3 ब्राह्मण, आराजी नम्बर– 1285, 1288, 1290, 1293, 1294, 1301, 1302, 1303, 1306, 1383 किता 10 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा भूमि अन्य खातेदारान के साथ अम्बालाल, लक्ष्मण, देवकरण, सत्यनारायण पिता बालु ना.बा.ब.वि. माता खुद उगमी बेवा बालु 1/4, आराजी नम्बर– 1580/1282, 1581/1383 किता 2 रकबा 05 बीघा भूमि अम्बालाल, लक्ष्मण, देवकरण, हीरालाल, पिता बालु ब्राह्मण साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा ग्राम देवरिया की आराजी नम्बर– 100 रकबा 07 बिस्वा गे.मू.चाह, उगमी बेवा बालु 1/12 ब्राह्मण साकिन उंखलिया , आराजी नम्बर– 97 रकबा 13 बिस्वा भूमि अम्बालाल, लक्ष्मण, देवकरण, हीरालाल, पिता बालु ब्राह्मण साकिन उंखलिया के नाम होना दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

यहॉ वादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात उनके दादा बालु पिता गणेश लाल ब्राह्मण के समय की है, जिसमें उनके पिता के देवकरण के साथ उनका भी समान हक हिस्सा निहित है। किन्तु वादीगण के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया गया है जिससे यह प्रकट हो कि विवादित आराजीयात बालु पिता गणेश लाल ब्राह्मण के खातेदारी की भूमियॉ हो। वादीगण के द्वारा जो राजस्व जमाबन्दीयॉ की प्रतियॉ पत्रावली पर उपलब्ध कराई गई है, वह देवकरण, अम्बलाल, लक्ष्मण, हीरालाल, व उगमी के खातेदारी की प्रस्तुत की गई है। उक्त राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि में उनका कोई हक हिस्सा निहित होना प्रथम दृष्टियाः प्रतित नही हुआ है। चुॅकि वादीगण के पिता देवकरण अभी जीवित है तथा आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है। ऐसी स्थिति में दावा वादी स्वीकार किये जाने का कोई समुचित आधार नही होने से दावा वादी खारिज योग्य है।

सहायक कलेक्टर
S. D. O.) गुलाबपुरा
-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

"निर्णय"

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को केम्प कोर्ट उंखलिया पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner